63

'वित्त, रक्षा तथा महिला और बाल विकास मंत्रालयों द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन'

[लोक लेखा समिति के 5वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

लोक लेखा समिति
(2022-23)

तिरसठवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

पीएसी सं. 2292

तिरसठवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

'वित्त, रक्षा तथा महिला और बाल विकास मंत्रालयों द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन'

[लोक लेखा समिति के 5वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

सत्यमेव जयते

.....को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

.....को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अप्रैल, 2023 / चैत्र, 1945 (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ
लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना		
प्राक्कथन.....		
अध्याय-एक	प्रतिवेदन.....	
अध्याय-दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	
अध्याय-तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	
अध्याय-चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है	
अध्याय-पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर भेजे हैं.....	
परिशिष्ट		
एक. *	अनुबंध	
दो. *	लोक लेखा समिति (2022-23) की 03 अप्रैल, 2023 को हुई सत्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	
तीन	लोक लेखा समिति के 5वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।	

* संलग्न नहीं है।

लोक लेखा समिति की संरचना

(2022-23)

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
6. श्री विष्णु दयाल राम
7. श्री राहुल रमेश शेवाले
8. श्री जी. एम. सिद्देश्वर
9. डॉ. सत्यपाल सिंह
10. श्री बृजेन्द्र सिंह
11. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. अमर पटनायक
19. डॉ. सी.एम. रमेश
20. श्री वि. विजयसाई रेड्डी *
21. डॉ. एम. थंबीदुरई
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. श्री टी.जी. चन्द्रशेखर - अपर सचिव
2. श्रीमती भारती एस. टुटेजा - निदेशक
3. सुश्री मालविका मेहता - अवर सचिव

---

*श्री वि. विजयसाई रेड्डी 13.12.2022 से लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए।

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, वित्त, रक्षा तथा महिला और बाल विकास मंत्रालयों से संबंधित 'वित्त, रक्षा तथा महिला और बाल विकास मंत्रालयों द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन' विषयक समिति के पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह तिरसठवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. पांचवां प्रतिवेदन 4 फरवरी, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से सभी उत्तर प्राप्त हो गए हैं। समिति ने 03 अप्रैल, 2023 को हुई अपनी बैठक में तिरसठवें प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश *परिशिष्ट–एक* में दिये गये हैं।

3. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में **मोटे** अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

4. समिति, 4. समिति इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की सराहना करती है।

5. पाँचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण *परिशिष्ट–दो* में दिया गया है।

नई दिल्ली:
03 अप्रैल, 2023
13 चैत्र, 1945 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

अध्याय – एक
प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन वित्त (राजस्व विभाग), रक्षा तथा महिला और बाल विकास मंत्रालयों से संबंधित 'वित्त, रक्षा तथा महिला और बाल विकास मंत्रालयों द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन' विषयक समिति के पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है।

2. पांचवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) दिनांक 04.02.2020 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसमें कुल 19 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में वित्त (राजस्व विभाग), रक्षा तथा महिला और बाल विकास मंत्रालयों से की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं और इन्हें मोटे तौर पर निम्न रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है:

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

पैरा सं. 2.15-2.18, 2.20-2.22, 3.10-3.12, 4.10, 5.14 और 5.16-5.18

कुल-15

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

शून्य

कुल-00

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

पैरा सं. 5.15 और 5.19

कुल-02

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

पैरा सं. 2.19 और 3.13

कुल-02

अध्याय-पांच

3. सरकार को समिति द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर कार्रवाई करने और छह माह के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत की गई कार्रवाई उत्तरों का विश्लेषण करने के पश्चात, समिति द्वारा की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जहां तक सरकार द्वारा स्वीकार की गई समिति की सिफारिशों के वास्तविक कार्यान्वयन का संबंध है, यद्यपि सीएंडएजी कुछ वर्षों के पश्चात अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच करता है, तथापि, इसका साथ-साथ वास्तविक कार्यान्वयन निर्धारित और सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। विकास, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन सिफारिशों का कार्यान्वयन अनिवार्य है। इस संदर्भ में, समिति द्वारा अपने विभिन्न प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के वास्तविक कार्यान्वयन का पता लगाने और समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की सीमा का पता लगाने के लिए 8 प्रतिवेदनों का चयन किया गया था (चार मूल प्रतिवेदन और उनके चार की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन)। ये प्रतिवेदन हैं:-

(एक) उक्त "सीमा शुल्क पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात व्यापार सुविधा का निष्पादन" संबंधी 75वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) और "75वें प्रतिवेदन पर मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 97वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा);

(दो) उक्त "भारतीय तट रक्षक की भूमिका एवं प्रकार्य" संबंधी 21वां प्रतिवेदन और "21वें प्रतिवेदन पर मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 51वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा);

(तीन) उक्त "भारतीय नौसैनिक युद्धपोतों का स्वदेशी निर्माण" संबंधी 32वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) और "32वें प्रतिवेदन पर मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 59वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा); और,

(चार) "समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) योजना" संबंधी 14वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) और "14वें प्रतिवेदन पर मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 35वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

4. विभिन्न विषयों से संबंधित उपरोक्त प्रतिवेदनों में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की सीमा की जांच करने के पश्चात, समिति ने वित्त, रक्षा तथा महिला और बाल विकास मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय के लिए, की गई सिफारिशों में नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन से संबंधित कार्य समूहों द्वारा विभिन्न उपायों का प्रभाव-विश्लेषण करना; चीन, ब्राजील और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में सीमा और व्यापार की अनुपालन लागत का तुलनात्मक विवरण; 24x7 सुविधा के उपयोग की सीमा; अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों का नामांकन; एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा में 'ईसंचित' (इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और आईटी दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकृत संचालन) का कार्यान्वयन; विभिन्न एजेंसियों के बीच आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विनियामक एजेंसियों से आवश्यक सभी मंजूरी/अनुमोदन के लिए एकल खिड़की की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत आवश्यक अनुपालनों/मंजूरियों के लिए आयातकों और निर्यातकों की सहायता हेतु एकल एकीकृत पोर्टल तैयार किया जाना है; इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से तत्काल प्रतिदायगी की अनुमति देना; संवर्ग समीक्षा; शिपिंग लाइनों और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों के बीच संबंध; सागर माला के अंतर्गत 101 परियोजनाओं के पूर्ण होने/प्रगति की स्थिति; मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स (एमएमटीजी) बिल को अंतिम रूप देना और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आदि की निगरानी करना सम्मिलित था।

5. रक्षा मंत्रालय के लिए, समिति ने यथाशीघ्र समर्पित प्रशिक्षण सुविधा के विकास और एक वैकल्पिक साइट को चुनने और अंतिम रूप देने और समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण सुविधा के निर्माण के लिए तत्काल प्रयास करने; व्यक्तियों की जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने और आपराधिक तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले जहाजों को जब्त करने के लिए तटरक्षक बल को सशक्त और मजबूत करने हेतु उपयुक्त कानून का अधिनियमन; समयबद्ध तरीके से अवसंरचनात्मक विकास को पूरा करना; जहाजों की पहचान और ट्रैकिंग और मछली पकड़ने वाले जहाजों के पंजीकरण की एक समान प्रणाली और देश की तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों और बलों की जिम्मेदारियों का निर्धारण करने जैसे मुद्दों को उठाने ताकि प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके और नेशनल कमिटी फॉर स्ट्रैथेनिंग मेरीटाइम एंड कोस्टल सिक्यूरिटी

(एनसीएसएमसीएस) की प्रणालीगत विफलताओं को रोका जा सके; मर्चेंट शिपिंग बिल में आईसीजी द्वारा सुझाए गए प्रावधानों को शामिल करने, और समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने के नियमन के लिए सेंट्रल मरीन रेगुलेशन फिशरीज एक्ट (सीएमआरएफए) का शीघ्र अधिनियमन करने; नौसेना द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाना जारी रखने और युद्धपोत निर्माण परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि को कम करने; सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ निजी जहाज निर्माण कंपनियों आदि द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों के युद्धपोतों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की।

6. महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए, समिति ने सिफारिश की थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और संचालन के पूरा न होने की समस्या को हल करने के लिए, मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके उन बाधाओं का पता लगाने और उनका समाधान खोजने के लिए बातचीत करे, जिनका वे एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के कार्यान्वयन में सामना कर रहे हैं; नियमित आधार पर योजना की जिले-वार निगरानी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी के लिए जिला कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करे; आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पारिश्रमिक में संशोधन और वृद्धि करे; शहरी झुग्गी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करे; कुपोषण से लड़ने में ब्राजील और अन्य देशों के इसी तरह के कार्यक्रमों की जांच करे; शहरी क्षेत्रों में आंगनबाडी केन्द्रों में क्रेच का निर्माण एवं पेयजल सुविधा एवं शौचालय निर्माण हेतु राशि आवंटन में वृद्धि करे ताकि शेष आंगनवाड़ी केन्द्रों में समयबद्ध तरीके से पेयजल एवं शौचालय की सुविधा प्राप्त हो सके आदि।

7. समिति के पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई टिप्पण को इस प्रतिवेदन के संगत अध्यायों के उत्तरवर्ती पैराओं में पुनः उदधृत किया गया है। समिति अब अपने मूल प्रतिवेदन में की गई कुछेक टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी, जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

8. समिति चाहती है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), रक्षा मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के छह माह के भीतर

अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत करे।

सिफारिश पैरा संख्या 2.21

9. *हवाई अड्डों/पत्तनों पर सीमा-शुल्क की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं में वृद्धि करने के लिए संवर्ग समीक्षा और रिक्तियों के सृजन और तत्काल भर्ती के संबंध में, समिति ने मंत्रालय के उत्तर को नोट किया था कि सीबीईसी ने वर्ष 2014 में ही संवर्ग पुनर्गठन किया था और अगली संवर्ग समीक्षा वर्ष 2018 में अपेक्षित थी। समिति यह नोट कर निराश थी कि उक्त उत्तर वर्ष 2018 की दूसरी छमाही में प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन इस तरह की समीक्षा किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए, समिति ने उसकी स्थिति और माल की तेजी से निकासी के लिए हवाई अड्डों/पत्तनों पर पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को रखने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराए जाने की इच्छा व्यक्त की थी।*

10. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:

> " कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के का.ज्ञा. फा. सं. 1.11019/9/2018-सीआरडी दिनांक 25.05.2018 ने विभिन्न केंद्रीय समूह क सेवाओं की संवर्ग समीक्षा के लिए कैलेंडर जारी किया। इसके बाद, बोर्ड द्वारा 08.06.2018 को संवर्ग पुनर्गठन 2018 के लिए एक कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजी) और कोर टीम का गठन करने के साथ सभी समूह क, ख और ग वर्ग के लिए संवर्ग पुनर्गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने और क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्गठन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। तदनुसार, सीबीआईसी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों की संवर्ग पुनर्संरचना और पुनर्गठन का प्रस्ताव शून्य आधारित बजट दृष्टिकोण और समूह क, ख और ग के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ/संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर भावी आवश्यकता के पूर्वानुमान सहित कार्यभार और कार्यात्मकताओं के विस्तृत विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है।

उक्त संवर्ग पुनर्गठन प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और प्रस्ताव को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा 20 मई, 2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक के दौरान अनुमोदित किया गया है।

बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर, डीओपीटी को प्रस्तुत करने के लिए एक समेकित प्रस्ताव तैयार किया गया था और मंत्रालय में इसकी जांच की जा रही है।"

11. लेखापरीक्षा ने निम्नवत टिप्पणियां की हैं: -

"इस संबंध में अंतिम परिणाम की स्थिति बताई जाए।"

12. मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में निम्नवत बताया:-

"संवर्ग पुनर्गठन सम्बंधी प्रस्ताव डीओपीटी को अ.शा.पत्र सं. एचआरएम-I /पोल/सीआरआर/1/1/2021-पोल/आरआर-ओ/ओ एडीजी-एचआरएम-1-डीजीएचआरडी दिनांक 16.07.2021 के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।"

13. मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षा ने आगे निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:-

"2018 में होने वाले संवर्ग पुनर्गठन को बोर्ड द्वारा 20/05/2020 को अनुमोदित किया गया था और 16/07/2021 को डीओपीटी को अग्रेषित किया गया था। इस मुद्दे को 2015 की एआर 13 में सूचित किया गया था और मंत्रालय कृपया इस तरह के पुनर्गठन के डीओपीटी द्वारा प्रभावी किए जाने तक, बीच की अवधि के दौरान, माल की तीव्र मंजूरी के सम्बंध में हवाई/समुद्री बंदरगाहों पर अधिकारियों की कमी से निपटने के लिए बोर्ड द्वारा की जा रही अंतरिम व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताए।"

14. इस मामले पर मंत्रालय ने आगे निम्नवत उत्तर दिया:

"डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर पांच साल में समय-समय पर संवर्ग पुनर्गठन सम्बंधी प्रक्रिया आयोजित की जाती है। संवर्ग पुनर्गठन सम्बंधी प्रक्रिया

का उद्देश्य उन कमियों को दूर करना है, जो सरकारी नीतियों में बदलाव, आधुनिक तकनीकों की शुरूआत और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने आदि के परिणामस्वरूप संगठनात्मक कामकाज में बदलाव के कारण हो सकती हैं। संवर्ग पुनर्गठन सम्बंधी प्रक्रिया में प्रमुख कार्य कार्यबल, संरचनात्मक और कार्मिक दृष्टिकोण से विभाग की जनशक्ति आवश्यकताओं और युक्तिकरण का प्रक्षेपण शामिल हैं। संवर्ग पुनर्गठन सम्बंधी पिछली प्रक्रिया को 2013 में पूरा किया गया था और 2014 में लागू किया गया था। जारी संवर्ग पुनर्गठन की प्रक्रिया को 2018 में शुरू किया गया था और इसका प्रस्ताव 16.07.2021 को डीओपीटी के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अंतराल में, सीबीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्राधिकार आयुक्तालयों, जिनके तहत हवाई /बंदरगाह आते हैं, को आवंटित उपलब्ध कर्मचारियों के साथ निर्बाध रूप से कार्य करते हैं। पिछले संवर्ग पुनर्गठन के दौरान स्वीकृत की गई कर्मचारियों की संख्या को बेहतर तरीके से तैनात किया गया है और आगामी वर्षों में होने वाले अगले पुनर्गठन तक बढ़ने वाले अधिक कार्यभार के लिए उपयोग किया जाता है।"

15. समिति ने नोट किया था कि हवाई अड्डों /समुद्री बंदरगाहों पर सीमा शुल्क की परिचालन जरूरतों को बढ़ाने के लिए सीबीआईसी ने 2014 में संवर्ग पुनर्गठन किया था। हालांकि, इसके बाद 2018 में संवर्ग समीक्षा होनी थी, पर फिर भी 2018 की दूसरी छमाही में मंत्रालय के प्रतिनिधियों के समिति के समक्ष इस बात का अभिसाक्ष्य देने के बावजूद समिति के समक्ष इसका कोई उल्लेख नहीं किया था। इसलिए, समिति चाहती थी कि उपरोक्त के संबंध में स्थिति और माल की शीघ्र निकासी को सक्षम बनाने के लिए हवाई अड्डों/समुद्री बंदरगाहों पर पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को रखने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उसे अवगत कराया जाए। समिति नोट करती है कि बोर्ड द्वारा 08.06.2018 को संवर्ग पुनर्गठन 2018 के लिए एक कार्यदल (डब्ल्यूजी) और कोर टीम का गठन करने के साथ सभी समूह क, ख और ग वर्ग के लिए संवर्ग पुनर्गठन का व्यापक प्रस्ताव तैयार करने और क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्गठन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। तथापि, संवर्ग पुनर्गठन प्रस्ताव को सीबीआईसी द्वारा 20.5.2020 को ही अनुमोदित कर दिया गया था और इसे एक साल से अधिक का समय बीत जाने के

बाद अर्थात 16.7.2021 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को अग्रेषित किया गया था। समिति मंत्रालय के उत्तर से यह पाती है कि पिछले संवर्ग पुनर्गठन के दौरान कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या की इष्टतम रूप से तैनाती की गई है और इसका उपयोग बाद के वर्षों में बढ़े हुए कार्यभार के लिए किया जा रहा है। समिति यह नोट कर निराश है कि संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव को डीओपीटी भेजने में तीन साल लग गए और इस पर अभी भी विचार किया जा रहा है। समिति का सुविचारित मत है कि समय पर संवर्ग पुनर्गठन से न केवल कार्यबल की बेहतर ढंग से तैनाती सुनिश्चित करने में, बल्कि एक प्रभावी अनुपालन निगरानी तंत्र बनाने में भी मदद मिलती है। समिति का मानना है कि आवधिक संवर्ग पुनर्गठन से स्वचालन, व्यावसायिक प्रक्रियाओं में संशोधन और कौशल अंतराल आदि से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिकारियों को तैयार करने और उन्हें समर्थ बनाने में मदद मिलती है। इसलिए, समिति चाहती है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक स्पष्ट ढांचे और समय सीमा के भीतर संवर्ग पुनर्गठन की प्रक्रिया हो ताकि उत्पादकता और आपूर्ति योग्य वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

सिफारिश पैरा सं. 2.22

16. *समिति ने नोट किया था कि शिपिंग लाइन्स द्वारा मनमाने तरीके से अधिक प्रभार लगाए जाने के मामले को लेकर मंत्रिमंडल सचिव ने निदेश दिया कि शिपिंग लाइन्स व कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) के बीच सांठगांठ और शिपिंग लाइन्स द्वारा लगाए जा रहे अत्यधिक प्रभार के मामले की समुचित कार्रवाई हेतु पोत परिवहन मंत्रालय, राजस्व विभाग, 'वाणिज्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय से जांच कराई जाए। समिति यह नोट करके क्षुब्ध थी कि मंत्रिमंडल सचिव के निर्देशों के बावजूद संबंधित मंत्रालयों ने शिपिंग लाइन्स और कंर्टनर फ्रेट स्टेशनों के बीच मिलीभगत को रोकने के लिए और अधिक प्रभारों के मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी । समिति आगे यह नोट करके निराश थी कि इस मुद्दे की निगरानी के लिए विनियामक नियुक्त करने को लेकर कोई उत्तर नहीं दिया गया। समिति चाहती थी कि उन्हें इस मामले के समाधान की स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति को आशा थी कि एनसीटीएफ यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी विभिन्न बैठकों में लिए गए सभी निर्णयों को अक्षरशः लागू किया जाए। समिति 97वें प्रतिवेदन में की गई अपनी सिफारिश को आगे दोहराती है कि बाद*

के चरणों में विवादों से बचने के लिए आधारभूत संरचना संवर्धन परियोजनाओं को शुरू करने से पहले राज्य सरकारों के साथ निरपवाद रूप से समझौता किया जाए / समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं। समिति चाहती थी कि उसे सागर माला के तहत 101 परियोजनाओं के पूरे होने / प्रगति की स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति आगे यह भी चाहती है कि आधारभूत संरचना संबंधी सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए और नियमित आधार पर निगरानी की जानी चाहिए; मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुडस (एमएमटीजी) बिल पर आगे की कार्यवाही की जाए और उसे अंतिम रूप दिया जाए और डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर्स की कड़ी निगरानी की जाए जिससे कि वे समय से पूरे हों और लागत में बढोत्तरी को रोका जा सके। व्यापार को सरल बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को स्वीकार करते हुए समिति ने यह राय दी थी कि प्रत्येक कार्यकलाप की समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए, सरकार द्वारा की गई पहल की प्रभावोत्पादकता व सफलता का नियमित रूप से आकलन किया जाए और निर्धारित लक्ष्य हासिल न होने की स्थिति में जवाबदेही तय की जाए।

17. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नानुसार बताया:

"पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है: -

" पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शिपिंग के उप महानिदेशक की अध्यक्षता में एक छोटे समूह का गठन किया है जो व्यापार और शिपिंग लाइनों के साथ बातचीत, शिकायतों की पहचान और जांच तथा लेनदेन लागत में पारदर्शिता और एक्जिम व्यापार की ढुलाई के लिए शिपिंग लाइनों/वाहकों द्वारा लगाए गए विभिन्न शुल्कों की तर्कसंगतता लाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दे सके। इस समूह ने प्रासंगिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और चर्चा करने के लिए पांच बैठकें (23 फरवरी, 14 और -15 मार्च, 22 मार्च और 7 अप्रैल 2016) आयोजित की। इस समूह ने केवल आयात शिपमेंट पर शिपिंग लाइनों/एजेंटों द्वारा लगाए गए 58 अतिरिक्त शुल्कों की पहचान की थी, जिसमें आम सहमति थी कि अब से 25 शुल्क नहीं लगाए जाएंगे। इन 25 शुल्कों में टर्मिनल हैंडलिंग शुल्क (टीएचसी) और अंतर्देशीय ढुलाई शुल्क (आईएचसी) शामिल हैं। इस निर्णय से यह महसूस किया गया कि लेनदेन की लागत में काफी कमी आएगी। तदनुसार, डीजीएस ने 07.09.2016

को इस तरह के सभी शुल्कों को सूचीबद्ध करते हुए एक परिपत्र जारी किया था, जिसके बाद 26.12.2016 को एक स्पष्टीकरण परिपत्र जारी किया गया था जिसका उद्देश्य पारदर्शिता की कमी और लेनदेन लागत की मनमानी के बारे में एक्जिम व्यापारियों की शिकायतों का निवारण करना था। चूंकि 07.09.2016/26.12.2016 को डीजी शिपिंग द्वारा जारी परिपत्र की कोई कानूनी वैधता नहीं थी, इसलिए प्रमुख शिपिंग लाइनों/वाहकों ने उसमें निहित निर्देशों का पालन नहीं किया और वे एक्जिम माल की ढुलाई के लिए अनुचित लागत वसूलते रहे।"

पत्तन ,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि सभी 25 शिपिंग लाइनों के शुल्क अब उनकी अपनी वेबसाइट के साथ-साथ जेएनपीटी ,आईपीए और पीसीएस की वेबसाइटों पर भी होस्ट किए जाते हैं। मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों को अपनी वेबसाइटों पर बंदरगाह ,शिपिंग लाइनों और संबंधित एजेंसियों द्वारा लगाए गए सभी दरों और शुल्कों का लिंक उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है।

इसके बाद , आयुक्त सीमा शुल्क ,मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र II -के कार्यालय ने डीजीएस के परिपत्र 1 दिनांक 07.09.2016 का संज्ञान लिया। उन्होंने एक सार्वजनिक सूचना संख्या 2016/158 दिनांक 25.11.2016 जारी की ,जिसमें निर्देश दिया गया कि शिपिंग लाइन ,फ्रेट फारवर्डर और नॉन-वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर और उनके विभिन्न संघ ,डीजीएस द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं ,जिनका उद्देश्य एक्जिम ट्रेड की लेनदेन लागत में पारदर्शिता लाने का है। इस सार्वजनिक नोटिस में आगे सलाह दी गई है कि उक्त कानूनी आवश्यकताओं के किसी भी उल्लंघन के मामले में ,सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन 2009 ,में कार्गो की हैंडलिंग के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। आगे यह भी सलाह दी गई है कि यदि इस संबंध में किसी भी कठिनाई का अनुभव होता है ,तो उसे उनके संज्ञान में लाया जाए।

उपर्युक्त के अलावा, यह भी बताया जा सकता है कि 07 जुलाई, 2017 से अधिसूचना संख्या एसओ 2163 (ई) द्वारा वाणिज्य विभाग के कार्य क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के विषय को शामिल करने के लिए कार्य आवंटन नियमों में संशोधन किया गया था। इसके बाद, यह विषय अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। वाणिज्य विभाग के लॉजिस्टिक्स प्रभाग

ने मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुडस एक्ट,1993 को पूरी तरह से संशोधित किया है और हाल ही में संसद में एमएमटीजी विधेयक, 2020 पेश करने के लिए पत्तन ,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों को प्रारूप मंत्रिमंडलीय टिप्पण परिचालित किया है।

जहां तक सागरमाला के तहत परियोजनाओं के पूरा होने/प्रगति की स्थिति का संबंध है ,पत्तन ,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है:

"दिनांक 15.07.2020 की स्थिति के अनुसार सागरमाला द्वारा वित्तपोषित परियोजना की स्थिति (*अनुबंध* में दी गई है)"

इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स डिवीजन, वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने प्रस्तुत किया है कि, "शिपिंग लाइनों व शिपिंग लाइनों और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों के बीच गठजोड़ द्वारा उच्च शुल्क का मुद्दा लॉजिस्टिक्स डिवीजन के संज्ञान में है। सीएसएलए, सीएफएसएआई सहित सभी हितधारकों के साथ आम सहमति बनाने के लिए कई बैठकें बुलाई गई हैं।

नौवहन महानिदेशालय द्वारा तैयार लेनदेन संबंधी लागत में पारदर्शिता समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए एक बैठक भी बुलाई गई थी। लॉजिस्टिक्स डिवीजन विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जहां पार्टियों के बीच मतभेद है।"

आगे रेल मंत्रालय ने इस संबंध में सूचित किया है कि हाल के दिनों में ,उसने माल ढुलाई दरों को युक्तिसंगत बनाकर और कंटेनरों की आवाजाही के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान कर एक्ज़िम कंटेनर कार्गो में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि ,जब भी रेल द्वारा कंटेनरों को ले जाया जाता है ,तो जेएनपीटी टर्मिनलों और न्हावा शेवा टर्मिनलों द्वारा लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क का मुद्दा ,रायगढ़ के सामाजिक आर्थिक विकास संगठन , कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों(सी टीओ)और विभिन्न हित धारकों द्वारा उठाया गया है। सड़क-आधारित कंटेनर संचलन की तुलना में यह अंतर मूल्य निर्धारण रेल के माध्यम से परिवहन के समग्र रसद तट को जोड़कर रेलवे के लिए एक समान अवसर

से वंचित करता है, जिससे रेल द्वारा आवाजाही को हतोत्साहित किया जाता है।

पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह हस्तक्षेप करे और रेलवे और सड़क के बीच एक समान अवसर प्रदान करे।

किसी भी रेलवे परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, बाधा डालने वाली उपयोगिताओं का स्थानांतरण (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों), विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, कई अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में काम करने के महीनों की संख्या और एजेंसियों/ठेकेदारों आदि के कामकाज आदि। परियोजनाओं की प्रगति में बाधक लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय से पहले ही पूरी हो जाएं, रेलवे ने अनुबंधों में बोनस क्लॉज के रूप में ठेकेदार को प्रोत्साहन की अवधारणा को अपनाया है जो परियोजनाओं के निष्पादन की गति को और बढ़ाएगा। क्षमता वृद्धि परियोजनाओं के लिए संस्थागत वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है, जिससे क्षमता वृद्धि परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि प्रावधान के लिए रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थिति के संबंध में, रेल मंत्रालय ने बताया कि, "ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी - लुधियाना से दानकुनी तक 1875 किलोमीटर) और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी - जेएन पोर्ट से दादरी तक 1506 किलोमीटर) को 81,459 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह परियोजना, 538 किलोमीटर सोननगर-दानकुनी खंड को छोड़कर, विश्व बैंक और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के पर्याप्त वित्त पोषण के माध्यम से निष्पादन के अधीन है, जिसे पीपीपी मोड के तहत निष्पादित करने की योजना बनाई गई है।

डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति (पूरी 1506 किलोमीटर डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी के अधीन लुधियाना-सोननगर खंड की 1337

किलोमीटर) क्रमशः 70% और 68% है। परियोजना को दिसंबर, 2021 तक चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चालू वर्ष में, ईडीएफसी के 194 किलोमीटर खुर्जा-भदन खंड और डब्ल्यूडीएफसी के रेवाड़ी-मदार खंड के 306 किलोमीटर सहित 500 किलोमीटर का डीएफसी पूरा किया जा चुका है।

18. लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तर पर निम्नलिखित पुनरीक्षण टिप्पणियां दीं: -

"इस मामले में आगे की स्थिति बतायी जाए।"

19. इस मामले पर मंत्रालय ने आगे जो बताया, वह इस प्रकार है: -

"रेल मंत्रालय द्वारा आगे की की गई टिप्पणियाँ:

किसी भी रेलवे परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, लागत साझा करने वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत हिस्सेदारी जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधा डालने वाली उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना (स्थलों) के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में काम करने के महीनों की संख्या आदि और ये सभी कारक परियोजना (परियोजनाओं) के पूरा होने का समय, जिसकी गणना अंततः पूरा करने के चरण में किया जाता है, को प्रभावित करते हैं। हालांकि, रेलवे परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, (ii) निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि, (iii) क्षेत्र स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iv) विभिन्न स्तरो पर प्रगति की बारीकी से निगरानी करना , (v) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव मंजूरी के लिए और

परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

परियोजनाओं को तर्कसंगत तरीके से बजट परिव्यय प्रदान किया गया है और उन परियोजनाओं को बजट आवंटित किया गया है जो पूर्णता के अग्रिम चरण में हैं, प्राथमिकता वाली परियोजनाएं, महत्वपूर्ण नई लाइन और राष्ट्रीय परियोजनाएं, निष्पादन योग्य और महत्वपूर्ण गेज परिवर्तन परियोजनाएं और महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो थ्रूपुट वृद्धि विचारों से महत्वपूर्ण हैं । इस प्रकार, अनुरूपी परिणाम के बिना संसाधनों के कम से कम उपयोग की बजाय, फंड आवंटन में ध्यान केंद्रित किया गया है।

डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी की भौतिक और वित्तीय प्रगति: पश्चिमी डीएफसी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से दादरी 1506 किमी) की समग्र वित्तीय प्रगति 74% है और पूर्वी डीएफसी (लुधियाना से सोननगर 1337 किमी) 75% है।

2. डीएफसी के निम्नलिखित अनुभागों को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है:

(1) ईडीएफसी का खुर्जा - भाऊपुर खंड (351 किमी)

(2) डब्ल्यूडीएफसी का रेवाड़ी-मदार खंड (306 किमी)।

निम्नलिखित खंडों पर भी काम पूरा कर लिया गया है:

(1) ईडीएफसी के गंजख्वाजा-चिरेलपथु (100 किमी)

(2) डब्ल्यूडीएफसी के मदर-पलनपुर (335 किमी)

उपरोक्त हिस्सों के पूरा होने के साथ, 1110 रूट किलोमीटर डीएफसी नेटवर्क की कुल लंबाई पूरी हो गई है।

3. पूर्वी डीएफसी के शेष खंड (सोननगर-दानकुनी खंड को छोड़कर) और पश्चिमी डीएफसी को जून 2022 तक चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

4. परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), पीएमओ, और अन्य महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म जैसे प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन), ई-समीक्षा आदि सहित उच्चतम स्तर पर डीएफसी परियोजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाती है।

वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के लाजिस्टिक डिवीजन की आगे की टिप्पणियों में निम्नवत बताया गया:

एनसीटीएफ की संचालन समिति की छठी बैठक के संबंध में, लाजिस्टिक डिवीजन को एमओपीएसडब्ल्यू से एक नोट प्राप्त हुआ है और इसका अध्ययन किया गया है। यह बताया गया है कि डीजी शिपिंग के पास अपने ग्राहकों से शिपिंग लाइनों द्वारा ली जाने वाली कीमतों पर एडवाइजरी लागू करने के लिए वैधानिक शक्तियां नहीं हैं। यह महसूस किया गया है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए संरचनात्मक तरीके से नियामक व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। यह ध्यान दिया जाए कि लाजिस्टिक डिवीजन के पास शिपिंग लाइनों द्वारा लगाए जा रहे शुल्कों को विनियमित करने के लिए कोई नियामक शक्ति नहीं है। एमओपीएसडब्ल्यू से मिली जानकारी के अनुसार, एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा तैयार किए जा रहे वाणिज्यिक पोत परिवहन (धारा 323) में पोत परिवहन शुल्क के नियमन को शामिल किया गया है।

कंटेनर की कमी और उच्च शिपिंग भाड़ा दरों की निगरानी के लिए अपर सचिव (एमओपीएसडब्ल्यू) की अध्यक्षता में कैबिनेट सचिव द्वारा एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। एमओपीएसडब्ल्यू से इस मुद्दे पर प्रगति की जानकारी मांगी जाये।

इसे विशेष सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

20. दिनांक 17.02.2022 की लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियाँ निम्नवत हैं: -

"कंटेनर की कमी और उच्च शिपिंग भाड़ा दरों की निगरानी के लिए अपर सचिव (एमओपीएसडब्ल्यू) की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की प्रगति रिपोर्ट के बारे में बताया जाए।"

21. लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियों के संबंध में मंत्रालय ने आगे निम्नवत बताया: -

"पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

1. भारतीय निर्माताओं के लिए कंटेनरों की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों पर निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित परामर्श/बैठकें आयोजित की गईं:

क. सचिव, पीएसडब्ल्यू ने निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और उन्हें कम करने के उपायों की पहचान करने के लिए 02.09.2021 को सभी हितधारकों के साथ बैठक की।

ख. कार्यालय ज्ञापन संख्या 652/1/2/2021 कैब.III दिनांक 03.09.2021 के अनुपालन में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें अपर सचिव (पीएसडब्ल्यू) शामिल किया गया है जो उत्पन्न हो रही स्थिति की निगरानी और कंटेनर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पहलों पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

ग. सचिव, पीएसडब्ल्यू ने 06.09.2021 को चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजना पर निर्णय लेने के लिए संबंधित मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों के साथ बैठक की।

घ. कार्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अपर सचिव, पीएसडब्ल्यू की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2021 को आयोजित टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई।

ङ. माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में माननीय रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री की उपस्थिति में 09.09.2021 को भारत से निर्यात को प्रभावित करने वाले रसद मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया।

च. इसके अलावा, सचिव (पीएसडब्ल्यू) ने संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्य योजना पर प्रगति पर चर्चा करने के लिए मंत्रालयों, अन्य एजेंसियों के साथ-साथ टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ 15.09.2021 को बैठक की।

छ. 5.10.2021 को प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्षों के साथ सचिव (पीएसडब्ल्यू) द्वारा बैठक आयोजित की गई और बंदरगाहों को निगरानी में सुधार करके कंटेनरों के टर्नअराउंड समय में और सुधार करने और शिपिंग स्थान की उपलब्धता में सुधार के लिए और छूट पर विचार करने के लिए कहा।

ज. 6.10.2021 को शिपिंग के महानिदेशक द्वारा सीएसएलए और शिपिंग लाइनों के साथ अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई थी।

झ. कार्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अपर सचिव, पीएसडब्ल्यू की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2021 को आयोजित टास्क फोर्स की दूसरी बैठक हुई।

ञ. कार्य योजना के कार्यान्वयन में प्रगति के सम्बंध में कार्यबल की तीसरी, चौथी एवं पांचवीं बैठक अपर सचिव, पीएसडब्ल्यू की अध्यक्षता में क्रमशः 11.10.2021, 29.10.2021 एवं 18.11.2021 को आयोजित की गई।

2. एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा किए गए उपाय

क. प्रमुख बंदरगाह विदेशी बंदरगाहों पर भीड़भाड़ के कारण अधिक समय और लागत से बचने के लिए पोतांतरण सेवाओं के लिए मुख्य जहाजों की सीधी कॉल की व्यवस्था करने के लिए शिपिंग लाइनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रमुख

बंदरगाह अतिरिक्त पोतांतरण मात्रा के लिए बंदरगाह शुल्क में भी प्रोत्साहन दे रहे हैं।

ख. पत्तन प्राधिकरणों द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं अर्थात पोर्ट प्रभारों पर वॉल्यूम लिंक छूट, निःशुल्क भंडारण अवधि में वृद्धि और रियायती भंडारण प्रभार।

ग. बंदरगाह के अध्यक्षों द्वारा सभी हितधारकों के साथ नियमित बातचीत से, खाली आयातित (टीईयू) कंटेनरों की संख्या निर्यातित टीईयू की तुलना में लगभग दोगुना है जिसके परिणामस्वरूप 12 प्रमुख बंदरगाहों पर एक्जिम व्यापार के लिए पिछले दो महीनों में 90,000 अतिरिक्त टीईयू की उपलब्धता हुई है।

घ. कोविड प्रभावित देशों से आने वाले जहाजों पर संगरोध प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

ड. डीजी शिपिंग (डीजीएस) द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें सीएसएलए और उसके सदस्यों को शिपिंग लाइन्स को सीधे रेलवे अधिकारियों को अंतर्देशीय ढुलाई शुल्क के भुगतान की अनुमति देने और कोई विशेष प्राथमिकता शुल्क नहीं लगाने के लिए कहा गया है।

च .सीएमए सीजीएम ने 09.09.2021 से 01.02.2022 तक अपने शिपिंग ब्रांडों द्वारा संचालित सभी सेवाओं पर इस स्पॉट कीमतों में किसी भी वृद्धि को रोकने के लिए ज्ञापन जारी किया है।

छ. खाली कंटेनरों का आयात बढ़ा, अब तक 1.67 मिलियन टीईयू को शिपिंग लाइनों द्वारा पुनर्स्थापित किया गया है।

ज .कई वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, इस्पात उत्पादों आदि के निर्यात को वित्तीय प्रोत्साहनों जैसे वॉल्यूम लिंक्ड, पोर्ट शुल्क में छूट और निःशुल्क भंडारण अवधि में वृद्धि करके मुंबई बंदरगाह में सफलतापूर्वक थोक और ब्रेकबल्क शिपमेंट में परिवर्तित कर दिया गया है। इसी प्रकार, दालों, सोयाबीन आदि का आयात मुंबई बंदरगाह में थोक और ब्रेक बल्क रूप में प्राप्त होना शुरू हो गया है।

झ .एससीआई द्वारा सैंडस्टोन और पोर्सिलेन टाइल्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन को सेवाएं प्रदान की गई है। वे कार्गो को कंटेनर से बल्क में बदलने और यूरोप को निर्यात के लिए ब्रेक बल्क के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के साथ चर्चा कर रहे हैं।

ञ .एससीआई ने तटीय व्यापार में लगे एक 4500 टीईयू कंटेनरशिप को एक्जिम व्यापार में बदल दिया है। माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक्जिम व्यापार के लिए 03.10.2021 को 'एससीआई चेन्नई' को झंडी दिखाकर रवाना किया। सेवा का मार्ग कांडला, कोच्चि, तूतीकोरिन, नवा शेवा, कांडला, संयुक्त अरब अमीरात में जेबेल अली और कतर में हमद होगा।

ट .नियमित हस्तक्षेप के कारण निम्नलिखित अतिरिक्त क्षमता को जोड़ा जा रहा/जोड़ा गया है:-

. एमएससी द्वारा यूएसए को प्रति माह 8500/9500 टीईयू की अतिरिक्त क्षमता तैनात की गई।31 अगस्त से एमएससी द्वारा भारत से अमेरिका के लिए एक नई सेवा शुरू की गई।

. हापग ने दो महीने में एक बार4000 / 5000टीईयू जोड़े। वे चेन्नई से यूएसए के लिए एक नई सेवा भी शुरू कर रहे हैं।

. एमएससी ने पश्चिम अफ्रीका में साप्ताहिक रूप से4500 / 6500टीईयू जोड़े।

. मुंद्रा और न्हावा शेवा (बीएमसीटी) से भूमध्यसागरीय बंदरगाहों के लिए एमईआरएसके की एक नई एमई2 सेवा 12 अगस्त से शुरू की गई है, जिसमें 10,000 टीईयू पोत आकार है जो पहले की क्षमता से दोगुना है।

.एमएससी ने लगभग 2000 टीईयू की अतिरिक्त क्षमता जोड़कर अपनी यूरोप सेवा का पुनर्गठन भी किया है और भारत से पारगमन समय बेहतर किया है।

vi. सीएसएलए ने सुदूर पूर्व के लिए प्रति सप्ताह 14300 टीईयू की नई सेवाओं की भी सूचना दी है।

. आईडीएएमईएक्स को सीएमए-सीजीएम और हपग लॉयड द्वारा मुंद्रा और न्हावा शेवा और यूएस ईस्ट कोस्ट के बीच संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है, जिसकी साप्ताहिक क्षमता (मुंद्रा और न्हावा शेवा से सीएमए-सीजीएम और हपग लॉयड दोनों को मिलाकर) लगभग 3,500 टीईयू है। (पहले नौकायन मुंद्रा 25/10 और न्हावा शेवा 29/10)।

. साउथ चाइना इंडिया एक्सप्रेस (एसआईएक्स) को मुंद्रा / न्हावा शेवा और साउथ चाइना / नॉर्थ वियतनाम के बीच लॉन्च किया गया है, मुंद्रा और न्हावा शेवा दोनों को मिलाकर इन सभी लाइनों की साप्ताहिक क्षमता लगभग 2,000 टीईयू है। (सुदूर पूर्व बंदरगाहों पर आने वाले पोत के विलंब के कारण पहले नौकायन में थोड़ा विलंब हुआ। अब इसके 21 नवंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान न्हावा शेवा और उसके बाद मुद्रा पहुंचने की उम्मीद है)।

3. कंटेनरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कार्य योजना

कार्यान्वयन की प्रगति के साथ सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद तैयार की गई कार्य योजना (एपी):

3.1 एक्जिम व्यापार के लिए कंटेनर उपलब्धता में वृद्धि

3.1.1 भारत में कंटेनर रखने की शुल्क मुक्त अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की जाए

- देश में लगभग28 % कंटेनर 6 महीने से अधिक समय तक रहते हैं और विस्तार की अनुमति कस्टम अधिकारियों द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर दी जाती है।

3.1.2 सीमा शुल्क द्वारा परित्यक्त ,रोक गए / जब्त किए गए कंटेनरों को जारी करना

- लगभग 19,000 कंटेनर (1.9.21) देश भर में सीमा शुल्क की हिरासत में छोड़े गए या हिरासत में/जब्त किए गए हैं, यदि इन्हें प्रचलन में रखा जाता है तो इसका गुणक प्रभाव हो सकता है

3.1.1 एवं 3.1. 2 पर प्रगति

- सीबीआईसी ने10 .09. 2021को लावारिस/अस्वीकार्य/पकड़े गए/जब्त किए गए सामानों सहित कंटेनर को पकड़ने के लिए तेजी से निपटाने के लिए परिपत्र जारी किया।

- सीबीआईसी परिपत्र सं. 21/2021-सीमा शुल्क दिनांक 24.09.2021 ने पुन: निर्यात की समय-सीमा 3 महीने बढ़ा दी है, यदि सूचित किया जाता है कि इसे लदान से निर्यात किया जाएगा, जो 31.02.2022 तक लागू है

- सीबीआईसी ने सूचित किया है कि 15.10.2021 तक 1107 पुराने कंटेनरों को छोड़ा गया है और 17712 जब्त कंटेनरों की पहचान की गई है।

3.1. 3 जहां भी संभव हो ,कंटेनरीकृत कार्गो को बल्क/ब्रेक बल्क में बदलना

- निर्यातक और पोत संचालक जहां भी संभव हो अधिक कंटेनरीकृत निर्यात और आयात को बल्क/ब्रेक बल्क में बदलने पर विचार कर सकते हैं ;तदनुसार आयात, की भी सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

- निर्यातकों और पोत ऑपरेटरों की सुविधा के लिए डीजीएफटी की अध्यक्षता में और जेएस लॉजिस्टिक्स, अतिरिक्त डीजी शिपिंग, निदेशक एससीआई,एफआईईओ, सीएसएलए, आईएनएसए, कॉनकॉर, एमओआरटीएच, एनएसीएफएस के प्रतिनिधियों सहित उप-समिति का गठन किया जाए।

3.1.3 पर प्रगति

- डीजीएफटी की अध्यक्षता में जेएस लॉजिस्टिक्स ,अतिरिक्त डीजी शिपिंग , निदेशक एससीआई और फियो ,सीएसएलए ,आईएनएसए ,कॉनकॉर आदि के प्रतिनिधियों के साथ17 .09. 2021को हुई बैठक में निर्यातकों और पोत ऑपरेटरों की सुविधा के लिए कंटेनरीकृत कार्गो को बल्क या ब्रेकबल्क शिपमेंट में बदलने की जटिलता और भावी उपायों पर चर्चा की गई।

- कंटेनरीकृत कार्गो का बल्क और ब्रेक बल्क में सफल रूपांतरण मुंबई पोर्ट पर किया गया।

3.1. 4 वाणिज्य विभाग और रेल मंत्रालय द्वारा एक्जिम व्यापार के लिए कंटेनर उपलब्धता में सुधार के उपाय

- परिवहन और बाजार सहायता (टीएमए) का विस्तार और अधिक सुधार
- कॉनकॉर द्वारा खाली कंटेनरों को फिर से लगाने के लिए मालभाड़ा छूट

3.1.4 पर प्रगति

वाणिज्य विभाग द्वारा 9.09.2019 को अधिसूचित निर्दिष्ट उत्पादों के लिए टीएमए और अन्य उत्पादों के लिए टीएमए के विस्तार को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है और व्यय विभाग को भेजा गया है।

- गैर-कृषि माल के लिए टीएमए योजनाओं के विस्तार के प्रस्ताव को व्यय विभाग ने खारिज कर दिया है।

- कॉनकॉर द्वारा प्रस्तावित गेटवे बंदरगाहों से आईसीडी के लिए आयातित खाली जगहों के लिए50 % की माल ढुलाई छूट के परिणामस्वरूप 1,46, 000 टी टीईयू को भीतरी इलाकों में ले जाया गया है।
- कॉनकॉर ने प्रति माह 10,000 टीईयू की आवाजाही के लिए 75% की छूट की घोषणा की और आगे एक्ज़िम व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए वॉल्यूम 15,000 टीईयू प्रति माह होने पर वे कुछ भी चार्ज नहीं करने जा रहे हैं। वन शिपिंग लाइन अक्टूबर माह में 75 फीसदी की छूट पाने का लक्ष्य हासिल कर सकती है।
- इसके अलावा, कॉनकॉर एक्जिम मूवमेंट के लिए कम से कम 3000 - 4000 घरेलू कंटेनर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
- कॉनकॉर ने बताया कि एक्जिम व्यापार के लिए पर्याप्त कंटेनर हैं। उनके एक्ज़िम टर्मिनलों पर 29,000 से अधिक खाली कंटेनर उपलब्ध हैं

3.2. कंटेनरों के टर्नअराउंड समय को न्यूनतम करना

- विलंब को कम करने और टर्नअराउंड समय में सुधार करने के लिए संपूर्ण लॉजिस्टिक्स श्रृंखला के साथ कंटेनर मूवमेंट की निगरानी करना।

- टर्नअराउंड समय में सुधार के लिए एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड के तहत कंटेनर मूवमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में सुधार के लिए उप-समिति का गठन किया जाए जिसमें सीईओ, एनआईसीडीसी और जेएस पोर्ट्स, जेएस लॉजिस्टिक्स, जेएस कस्टम्स, अतिरिक्त डीजी शिपिंग, एमडी कॉनकॉर और एफआईईओ, सीएसएलए और एनएसीएफएस के प्रतिनिधि शामिल हों।

3. 2. पर प्रगति

- बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय में सुधार के लिए चलन की निगरानी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्ष कर रहे हैं।
- टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए कंटेनरों की आवाजाही की निगरानी के लिए एनआईसीडीसी के लॉजिस्टिक्स डेटाबैंक के दायरे का विस्तार करने के लिए 20.09. 2021को सीईओ ,एनआईसीडीसी की अध्यक्षता में अन्य हितधारकों के साथ बैठक हुई।
- बंदरगाहों के अलावा अन्य हितधारकों के संरक्षक के तहत कंटेनर दृश्यता में सुधार के लिए लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई मदें प्रस्तावित हैं:
- कंटेनरों (खाली / लदे) के वास्तविक समय संचलन के लिए सीएफएस / आईसीडी के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एलडीबी का एकीकरण।
- कॉनकॉर द्वारा प्रबंधित किए जा रहे सीएफएस/आईसीडी के प्रवेश/निकास द्वारों पर एलडीबी आरएफआईडी रीडर्स स्थापित करना
- खाली कंटेनरों की आवाजाही की निगरानी के लिए खाली यार्डों और शिपिंग लाइनों के रखरखाव यार्डों में आरएफआईडी रीडर्स की स्थापना
- राजस्व विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि सीएफएस को एनआईसीडीसी/एलडीबी सिस्टम के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया जाए ताकि खाली कंटेनरों का डेटा दैनिक आधार पर साझा किया जा सके।
- डीजी शिपिंग ने शिपिंग लाइन्स को अपने खाली/रखरखाव यार्ड के बारे में एनआईसीडीसी को डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है
- एनआईसीडीसी के प्रतिनिधि ने बताया कि वे स्थापना और एकीकरण के मामले में जुलाई के अंत तक100 % सीएफएस और आईसीडी को कवर करने का लक्ष्य बना रहे हैं। 128 सीएफएस स्थानों में से 123 आरएफआईडी रीडर्स के लिए कवर किए गए हैं और 128 में से 104 की दैनिक सूची प्राप्त हो रही है। 105 आईसीडी स्थानों में से 22 आरएफआईडी रीडर्स द्वारा कवर किए गए हैं और 105 में से 53 की दैनिक सूची प्राप्त हो रही है।
- यह अनुरोध किया गया था कि सीबीआईसी शेष सीएफएस / आईसीडी) कॉनकॉर सहित (को एलडीबी के साथ दैनिक कंटेनर इन्वेंट्री डेटा को साझा करने में तेजी लाने का निर्देश दे।
- एनडीए को कॉनकॉर के साथ साझा किया गया और एनआईसीडीसी और कॉनकॉर के अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुईं। यह बताया गया कि कॉनकॉर द्वारा संचालित/प्रबंधित आईसीडी में आरएफआईडी रीडर स्थापित करने की अनुमति अभी भी दी जानी है।
- संयुक्त सचिव (पीएसडब्ल्यू) ने कॉनकॉर से मामले में तेजी लाने का अनुरोध किया क्योंकि सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है।
- एफआईईओ के प्रतिनिधि ने बताया कि डीजी शिपिंग की मदद से हपग लॉयड को छोड़कर अधिकांश शिपिंग लाइनें पोर्टल पर आ गई हैं। यह सूचित किया जाता है कि

28दिसंबर ,2021 को लगभग 2700 की तुलना में लगभग 2950 निर्यातक इसमें शामिल हुए हैं।

3.3. निर्दिष्ट समय अवधि के लिए कंटेनरों की अग्रिम बुकिंग

- निर्यातकों के लिए उपलब्धता को इंगित करने के लिए शिपिंग लाइनों के प्रावधान के साथ अपनी आवश्यकता को अग्रिम रूप से रखने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ) द्वारा बनाया गया पोर्टल विश्वसनीय और ठोस बनाया जाए।

3. 3. पर प्रगति

- पोर्टल पर कृषि, समुद्री और दवा वस्तुओं के अतिरिक्त निर्यातकों को लाने के लिए दिनांक 17.09.2021 को जेएस लॉजिस्टिक्स, अतिरिक्त डीजी शिपिंग, निदेशक एससीआई और एफआईईओ, सीएलएसए, आईएनएसए, आदि के प्रतिनिधियों के साथ डीजीएफटी की अध्यक्षता में बैठक हुई।

- माननीय वाणिज्य मंत्री ने 27.09.2021 को "ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म" पोर्टल का उद्घाटन किया

- अब तक, प्लेटफॉर्म 2465 निर्यातकों और 500 शिपिंग लाइनों/फ्रेट फारवर्डर्स को एक साथ लाया है

- संचालन शुरू होने के बाद से 9511 कंटेनरों की मांग पोस्ट की गई है।

- अब तक एपीईडीए के 39 निर्यातक और एमपीईडीए के 36 निर्यातक पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

3.4. कंटेनरों की खरीद और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना

पीएलआई योजना के तहत कंटेनर निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

- कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी एक योजना तैयार करे
- कॉनकॉर घरेलू निर्माताओं से कंटेनरों की आपूर्ति के और ऑर्डर देने पर विचार करे

3.4 पर हुई प्रगति

- कॉनकॉर ने स्वदेशी विक्रेताओं ,सार्वजनिक उपक्रमों से कंटेनरों की खरीद को मंजूरी दी है
- मैसर्स ब्रेथवेट कंपनी लिमिटेड से 20 फीट ऊंचे क्यूब एंड ओपन 34 टी के 1000 नग कंटेनर।.

- मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से 20 फीट ऊंचे क्यूब एंड ओपन 34 टी के 1000नग कंटेनर ।
- कॉनकॉर ने स्वदेशी निर्माताओं से 6000 कंटेनर खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया है
- 24बोलीदाताओं ने अर्हता प्राप्त कर ली है ,वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है और 7 दिनों के भीतर कार्य आदेश दिया जाएगा।
- डीपीआईआईटी का विनिर्माण नीति प्रभाग कंटेनरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के तरीकों की जांच कर रहा है।
- यह बताया गया कि अन्य 10000 कंटेनरों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। कॉनकॉर ने वैश्विक निविदाओं के लिए स्वीकृति ले ली है। निविदा16 .02. 2022को मंगाई गई थी और04 .04. 2022को खोली जाएगी।
- एमओपीएसडब्ल्यू ने कंटेनर निर्माण के लिए पीएलआई योजना शुरू करने के लिए डीपीआईआईटी से संपर्क किया है।

इसे विशेष सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया गया है।

22. समिति को यह चिंता थी कि अतिरिक्त प्रभार के संबंध में शिपिंग लाइनों और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों के बीच सांठगांठ को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। समिति को यह जानकर निराशा हुई थी कि इस समस्या पर निगरानी रखने के लिए नियामक नियुक्त किए जाने की बात पर मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया और समिति चाहती थी कि उसे उक्त मामले के समाधान संबंधी स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति ने अपनी पहले की सिफारिश को दोहराया था कि बुनियादी ढांचे की संवर्धन परियोजनाओं को शुरू करने से पहले राज्य सरकारों के साथ अनिवार्य रूप से एक करार/समझौता ज्ञापन किया जाना चाहिए ताकि बाद के चरणों में विवादों से बचा जा सके। समिति ने सागर माला के तहत 101 परियोजनाओं के पूरा होने/प्रगति की स्थिति से अवगत कराए जाने की भी इच्छा जताई थी। समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं और नियमित आधार पर निगरानी की जाए; मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स (एमएमटीजी) विधेयक का अनुपालन किया जाए और इसे अंतिम रूप दिया जाए और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सख्ती से निगरानी की जाए ताकि इन्हें समय पर पूरा किया जा सके और तत्संबंधी लागत वृद्धि को रोका जाए। समिति की यह भी राय थी कि प्रत्येक कार्यकलाप के लिए समय-सीमा विनिर्दिष्ट की जाए, सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रभावकारिता और सफलता का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाए और विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को हासिल न करने के मामले में जिम्मेदारी तय जाए।

शिपिंग लाइन संबंधी मुद्दे पर, समिति मंत्रालय के उत्तर से यह नोट करती है कि शिपिंग प्रभारों के विनियमन को वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम (धारा 323) में शामिल किया गया है, जिसे पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है और अपर सचिव (एमओपीएसडब्ल्यू) की अध्यक्षता में कैबिनेट सचिव द्वारा कंटेनरों की कमी और उच्च शिपिंग भाड़ा दरों की निगरानी हेतु एक कार्यदल का गठन किया गया है। समिति चाहती है कि उसे उक्त विधेयक की स्थिति और कार्यदल की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप शिपिंग लाइनों द्वारा लगाए जा रहे प्रभारों में हुई कमी से अवगत कराया जाए।

समिति मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि सागरमाला कार्यक्रम के तहत 506 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और यह आशा करती है कि अवसंरचना संबंधी निवेश से 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाए जाएंगे। समिति सागरमाला परियोजना की वेबसाइट से यह पाती है कि लगभग 6.01 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 574 परियोजनाएं हैं और दिनांक 30-सितंबर-2019 तक, कुल 121 परियोजनाएं (लागत: 30,228 करोड़ रुपये) पूरी हो चुकी हैं और 201 परियोजनाएं (लागत: 309, 048 करोड़ रुपये) कार्यान्वयन के अधीन हैं। समिति चाहती है कि उसे परियोजनाओं के पूरा होने की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति को विश्वास है कि शेष परियोजनाओं को उनकी निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

समिति रेल मंत्रालय के उत्तर से यह नोट करती है कि डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी परियोजना (संपूर्ण 1506 किलोमीटर डब्ल्यूडीएफसी और 1337 किलोमीटर ईडीएफसी के लुधियाना-सोननगर खंड) की वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 70 प्रतिशत और 68 प्रतिशत है और इस परियोजना को चरणों में दिसंबर, 2021 के अंत तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार, परियोजना के तहत जून 2024 तक कुल 2843 किलोमीटर (सोननगर-दनकुनी खंड को छोड़कर) का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है और उक परियोजना 85 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, समिति वर्ष 2021 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन संख्या 22 के पैरा 3.1 में अंतर्विष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों से नोट करती है कि अनुबंधों को देने में हुए विलंब और सलाहकारों की नियुक्ति में हुए विलंब के कारण परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा; डीएफसी के लिए रोलिंग स्टॉक के रखरखाव की योजना में कमियां, फीडर मार्गों के उन्नयन में विलंब और पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी आदि में विभिन्न गतिशील आयामों को अपनाने में विलंब समिति

महसूस करती है कि परियोजना की निगरानी में ढिलाई बरती गई है और समिति अपनी पहले की सिफारिश को दोहराती है कि सरकार द्वारा की गई पहलों की प्रभावकारिता और सफलता का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को हासिल न करने की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाए। समिति को मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स (एमएमटीजी) विधेयक की स्थिति भी अवगत किया जाए।

सिफ़ारिश पैरा सं. 5.14

23. *समिति समझती है कि राज्य सरकारों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए स्थान परिवर्तन करना, लंबित अदालती मामले और उक्त के निर्माण हेतु कम राशि का आवंटन होना आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और संचालन के पूरा न होने के कुछ कारण हैं। समिति चाहती है कि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ संपर्क करके राज्यों द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के कार्यान्वयन और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में आ रही समस्याओं का पता लगाया जाए और फिर उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी मदद की जाए। समिति ने नोट किया था कि मंत्रालय पूर्व में प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए दो लाख रूपए की राशि दे रहा था और वित्त मंत्रालय ने इस राशि को घटाकर एक लाख रूपए कर दिया है जो प्रतिपूर्ति के आधार पर होगी। समिति ने नोट किया था कि इस घटी हुई राशि की वजह से राज्य अपनी तरफ से कोई अतिरिक्त राशि नहीं दे पा रहे थे और मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से मूल योजना पर वापस जाने का अनुरोध करने पर विचार कर रहा है। समिति मंत्रालय से उसे यथाशीघ्र करने का आग्रह करती है। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि ऐसे सभी मामलों के समाधान के लिए संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों से एक-एक प्रतिनिधि लेकर एक समिति बनाई जाए। यह सिफारिश करते हुए कि योजना के कार्यान्वयन नियमित आधार पर जिलेवार निगरानी की जाए, समिति यह भी चाहती थी कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी के लिए सरकार जिला कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करे।*

24. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:-

> "आईसीडीएस स्कीम के अभिसरण में, मनरेगा के तहत 11 राज्यों(आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) के बेहद पिछड़े जिलों में 2019 तक 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) भवनों के निर्माण के लिए दिनांक 13.08.2015 को

ग्रामीण विकास और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आंगनवाड़ी भवनों की बेहद कमी के मद्देनज़र देश भर में 4 लाख आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए दिनांक 17.02.2016 को संयुक्त दिशानिर्देशों के कार्यक्षेत्र को संशोधित किया गया है। मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये तक उपलब्ध कराएजाएंगे और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात पर 2 लाख रुपये तक उपलब्ध कराए जाने थे।

संशोधित आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत मनरेगा के अभिसरण में दिनांक 30.11.2018 तक 1 लाख नए आंगनवाड़ी भवनों के निमार्ण का अनुमोदन किया गया था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए केंद्रीय अंश 1 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र भवन होगा। केंद्रीय अंश के रूप में प्रति आंगनवाड़ी भवन 1 लाख रुपये की निर्माण राशि की प्रतिपूर्ति निर्माण कार्य पूरा होने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को की जाएगी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय का अंश 2.00 लाख रुपये से घटकर 1.00 लाख रुपये होने से, अधिकांश राज्यों ने आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में कठिनाई व्यक्त की है। राज्यों ने सूचित किया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण एक सामग्री गहन गतिविधि है और लगभग 80% व्यय सामग्री घटक पर होता है। मंत्रालय और राज्यों का अंशदान आंगनवाड़ी केंद्र में सामग्री की खरीद के आंशिक वित्तपोषण में इस्तेमाल हो जाता है। बकाया सामग्री और श्रम घटक का वित्तपोषण मनरेगा के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंशदान में कमी और वह भी प्रतिपूर्ति के रूप में, आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण की गति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है।

समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से, सचिव(म.बा.वि.) की अध्यक्षता में दिनांक 19.12.2018 को एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में, यह चर्चा की गई कि मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए वित्तीयन पैटर्न पर पुनर्विचार करने और आंगनवाड़ी केंद्र भवन की निर्माण की गति बढ़ाने के लिए इसे उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस मामले को व्यय विभाग के समक्ष उठाते हुए यह अनुरोध किया कि मनरेगा के अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के लिए भारत सरकार के अंश को नवम्बर, 2017 से पूर्व प्रचलित मूल मानदंडों यानी मौजूदा लागत हिस्सेदारी अनुपात (विधानसभा वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40; पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100:0) पर प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 2 लाख रुपये का भारत सरकार का अंशदान बहालकिया जाए। व्यय विभाग ने दिनांक 29.03.2019 के अपने का.ज्ञा. द्वारा

सूचित किया कि "वित्तीयन पैटर्न को अपने मूलरूप में बहाल करने सहित अम्ब्रेलाआईसीडीएस स्कीम में कोई भी संशोधन नीति आयोग द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद मंत्रिमंडल के अनुमोदन से ही किया जा सकता है" क्योंकि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आईसीडीएस अम्ब्रेला स्कीम के विस्तार का अनुमोदन किया है और समिति ने यह भी निर्देश दिया था कि उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश करने के लिए नीति आयोग अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत मौजूदा स्कीमों की समीक्षा करेगा।"

25. लेखापरीक्षा ने अपनी संवीक्षा टिप्पणियों में निम्नवत बताया:-

"निम्न विषयों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उत्तर नहीं दिया गया है :

क) सभी मामलों के समाधान के लिए मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों से प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन।

ख) स्कीम की नियमित आधार पर जिलावार निगरानी।

ग) विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी के लिए जिला कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति।

उपरोक्त पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से लोक लेखा समिति को सूचित किया जाए। "

26. मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में निम्नवत बताया है:-

" (क) राज्यों के साथ निरंतर जुड़ाव के भाग के रूप में, समय-समय पर समीक्षा बैठकें की जाती हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 2020 में माननीय महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा ली गई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महिला और बाल विकास मंत्रियों की बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि उचित बुनियादी ढांचे के अभाव में, आंगनवाड़ी स्कीम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना कठिन है। प्रत्येक आंगनवाड़ी में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, आंगनवाड़ियों में इस मूलभूत सुविधा के लिए प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना और जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्कीमों का लाभ उठाने का सुझाव दिया गया। अतएव, आंगनवाड़ियों का निर्माण किया जाना और किराए के और सामुदायिक भवनों(स्कूलों और पंचायतों) से संचालित आंगनवाड़ियों को पुन: स्थापित किए जाना अत्यंत आवश्यक है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों को एक समयबद्ध तरीके से भरे जाने के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है जिससे सशक्त बुनियादी सुविधाएं निर्मित करने में मदद मिल सके।

इन मिशनों के तहत उद्देश्य भारत सरकार और राज्यों की साझा जिम्मेदारी है और राज्यों के सक्रिय सहयोग से एक सशक्त अभिसरित मंच पर इनके कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य, आयुष, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और वन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयों, खाद्य और स्कूली शिक्षा विभाग आदि की स्कीमों और पहलों में अभिसरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। तदनुसार, यह महसूस किया जाता है कि निर्माण संबंधी मामलों के लिए विशेषरूप से एक अलग समिति की आवश्यकता नहीं है।

(ख) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 13.01.2021 को परिपत्र द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अन्य बातों के अलावा, पारदर्शिता, कार्यक्षमता और जवाबदेही के लिए इ्यूटीधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर दिशानिर्देश जारी किए। इसमें विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के बीच प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करने और प्रगति की नियमित आधार पर समीक्षा करने के लिए विभिन्न विभागों की गतिविधियों के समन्वय के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का प्रावधान किया गया है। इन दिशानिर्देशों के तहत, जिला मजिस्ट्रेट को आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत जिले में विभिन्न गतिविधियों के लिए नोडल बिंदु बनाया गया है।

(ग) राज्य सरकारों के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमों की निगरानी करने के लिए जिला स्तरीय कल्याण अधिकारियों को नामित करना आवश्यक है। इस संबंध में समिति की सिफारिशों के अनुरूप, राज्य सरकारों को कल्याण अधिकारियों को नामित करने, यदि पहले नहीं किए गए हों, का आग्रह किया जा रहा है।"

27. समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि मंत्रालय समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के कार्यान्वयन और आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में आ रही बाधाओं को जानने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत करे ताकि उनकी समस्याओं के समाधान में मदद मिल सके। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए अनुदान राशि को 2 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये करने का उल्लेख करते हुए, समिति ने नोट किया था कि कटौती के कारण, राज्य अपनी ओर से कोई अतिरिक्त धन प्रदान करने में सक्षम नहीं थे और मंत्रालय वित्त मंत्रालय से मूल योजना पर लौटने का अनुरोध करने पर विचार कर रहा था। समिति ने मंत्रालय से इस तरह के प्रस्ताव को जल्द से जल्द शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया था। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि ऐसे सभी मामलों के समाधान के लिए एक समिति गठित की जाए जिसमें संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के एक-एक प्रतिनिधि शामिल हों। इसके अलावा, यह सिफारिश करते हुए कि योजना के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर जिला-वार निगरानी की जाए, समिति ने सरकार से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी के लिए जिला कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करने की इच्छा व्यक्त की थी।

समिति महिला और बाल विकास मंत्रालय के उत्तर से यह नोट करती है कि उन्होंने इस मामले को व्यय विभाग के साथ उठाया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि मनरेगा के तहत शामिल कर आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए सरकार के हिस्से को नवंबर 2017 से पहले प्रचलित मूल मानदंडों में बहाल किया जाए। तथापि, व्यय विभाग के अनुसार अम्ब्रेला आईसीडीएस स्कीम में कोई भी संशोधन, जिसमें वित्तपोषण पैटर्न को उसके मूल स्वरूप में बदलना शामिल है, नीति आयोग द्वारा मूल्यांकन के बाद मंत्रिमंडल के अनुमोदन से ही किया जा सकता है क्योंकि सीसीईए ने आईसीडीएस अम्ब्रेला स्कीम के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया था। इसके अलावा, सीसीईए ने यह भी निर्देश दिया था कि नीति आयोग उचित संशोधनों की सिफारिश करने के लिए अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करेगा। समिति सिफारिश करती है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय आईसीडीएस योजना की उपर्युक्त समीक्षा शीघ्रता से करने के लिए नीति आयोग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करे और आगे कोई और विलम्ब किए बिना आँगनवाडी केन्द्रों के निर्माण के लिए एक उपयुक्त वित्तपोषण पैटर्न स्थापित किया जाए।

मामलों के समाधान के लिए राज्यों और मंत्रालयों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति गठित करने के संबंध में समिति यह नोट करती है कि स्वास्थ्य, आयुष, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और वन, पेयजल और स्वच्छता, खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा आदि मंत्रालयों की योजनाओं और उनकी पहलों में शामिल करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय की इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि इस योजना के उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है और कार्यान्वयन की परिकल्पना एक मजबूत अभिसरण मंच पर की गई है, समिति इस मंच की रूपरेखा और मामलों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने में परिणामी प्रभाव को जानना चाहती है।

सिफारिश पैरा सं. 5.15

28. *समिति ने पाया कि सबसे अधिक रिक्त पद आंगनवाड़ी सेविकाओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के हैं और ये पद मुख्य रूप से बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रिक्त हैं। समिति की राय थी कि वर्तमान में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को दिया जा रहा पारिश्रमिक बहुत कम है और इसलिए अपर्याप्त है। समिति की सुविचारित राय थी कि आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाएं न सिर्फ बच्चों की देखरेख का काम करती हैं बल्कि वे देश का भविष्य संवारती हैं और तदनुसार उनके पारिश्रमिक की तुलना प्राथमिक विद्यालयों के सरकारी शिक्षकों को दिए जा रहे पारिश्रमिक से होनी चाहिए। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की थी कि मंत्रालय तदनुसार आंगनवाड़ी*

सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पारिश्रमिक में संशोधन करे और उसमें वृद्धि करे।

29. *इस संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-*

> *"महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सेविकाओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को दिए जाने वाले मानदेय में 01.10.2018 से वृद्धि की है। आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए स्वीकृत बढ़ा हुआ मानदेय और निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का प्रावधान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:*
>
> *(i) मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी सेविकाओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) के मानदेय को मौजूदा 3000/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 4,500/- रुपये प्रति माह कर दिया गया है;*
>
> *(ii) लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी सेविकाओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) के मानदेय को मौजूदा 2,250/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,500/- रुपये प्रति माह कर दिया गया है;*
>
> *(iii) आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) का मानदेय मौजूदा 1,500/-रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 2,250/-रुपये प्रति माह कर दिया गया है; और*
>
> *(iv) आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) मानदेय 2,250/-रुपये प्रति माह के मानदेय के अलावा आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्य को सुचारू बनाने के लिए 250/-रुपये प्रति माह निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की भी पात्र होंगी।*
>
> *(v)* **पोषण** *अभियान के तहत आईसीडीएस-सीएएस का उपयोग करने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं को पहले ही निष्पादन से जुड़े 500/- रुपये प्रति माह प्रोत्साहन की मंजूरी दे दी गई है।"*

30. मंत्रालय के उत्तर पर लेखापरीक्षा की जांच टिप्पणियों में निम्नवत बताया गया है:

> "मंत्रालय अक्टूबर, 2018 में मानदेय में की गई वृद्धि को दोहरा रहा है। आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के पारिश्रमिक को संशोधित करने और बढ़ाने की लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पीएसी को सूचित किया जा सकता है।"

31. लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर मंत्रालय के उत्तर में निम्नवत बताया गया है:-

"लोक लेखा समिति (पीएसी) की अनुशंसा पर विचार किया गया है। पीएसी के संज्ञान में लाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईसीडीएस (एसएनपी घटक सहित) के तहत 15784.39 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से, आंगनवाड़ी सेवाओं के सामान्य घटक के तहत 6820.43 करोड़ जारी किए गए थे, जिनमें आंगनवाड़ी सेविकाओं /आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान भी शामिल है। यहां यह प्रस्तुत किया जाता है कि आंगनवाड़ी सेवाओं के सामान्य घटक (जिसमें मानदेय शामिल है) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईसीडीएस के तहत कुल खर्च का 43% (6820.43/15784.39 करोड़ रुपये) है और पारिश्रमिक में किसी भी प्रकार की वृद्धि से बुनियादी ढांचे सहित अन्य सामान्य घटक के मदों को प्रभावित होने की संभावना है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में, आंगनवाड़ी सेविकाओं / सहायिकाओं के पारिश्रमिक को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

32. समिति ने पाया कि आंगनवाड़ी सेविकाओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के पदों पर अधिकतम रिक्तियां मौजूद हैं और आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया जा रहा वर्तमान पारिश्रमिक काफी कम और अपर्याप्त है। इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के पारिश्रमिक को उचित रूप से संशोधित करे और उसमें बढ़ोतरी करे। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि मंत्रालय ने अपने उत्तर में अक्टूबर 2018 तक मानदेय में वृद्धि के बारे में बस केवल इस तथ्य को दोहराया। समिति का विचार है कि एडब्ल्यूएच और एडब्ल्यूडब्ल्यू के पदों पर बड़ी संख्या में रिक्तियां उन्हें दी जा रही अल्प मजदूरी के कारण हो सकती हैं। कोविड अवधि के दौरान इन आंगनवाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है- उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण, पूरक पोषण, परिवारों को परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित करने से संबंधित अपनी मुख्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ-साथ राशन वितरित करने का काम सौंपा गया था। इसलिए, समिति का मानना है कि अब समय आ गया है कि आंगनवाडी सेविकाओं को उनके द्वारा प्रदान की जा रही निस्वार्थ और निरंतर सेवाओं का उचित मान्यता मिले। तदनुसार, समिति अपनी इस सिफारिश को दृढता से दोहराती है कि आंगनवाडी सेविकाओं और आंगनवाडी सहायिकाओं के पारिश्रमिक को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि उन्हें दिए जा रहे लाभ और वेतन उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के अनुरूप होने चाहिए। मंत्रालय की इस प्रतिक्रिया को देखते हुए कि पारिश्रमिक में कोई भी वृद्धि अवसंरचना समेत अन्य सामान्य घटक मदों को प्रभावित कर सकती है, समिति चाहती है कि मंत्रालय इसके लिए आवश्यक बजटीय सहायता की माँग करे।

सिफारिश पैरा सं. 5.18

33. *समिति ने पाया था कि शहरी क्षेत्रों में जिन 25,000 आंगनवाड़ीकेन्द्रों में शिशु गृहों का निर्माण किया जाना था, उनमें बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय की सहायता से इन्हें बनाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है और इसके लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करने की भी सूचना है। समिति चाहती है कि जैसा कि पहले सिफारिश की गई थी, इस मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ गंभीरता से उठाया जाए ताकि इस मामले में कोई सफलता हासिल की जा सके और उन्हें उपलब्धि से अवगत कराया जा सके।*

34. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में निम्नवत बताया:-

"12 वीं योजना के दौरान आंगनवाड़ी सह-शिशुगृह की स्थापना के लिए 5% आंगनवाड़ी केंद्रों (आंगनवाड़ी केंद्रों) को शिशुगृहों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। तथापि, इस घटक को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पर्याप्त रूप से शुरू नहीं किया गया था। इसलिए वर्ष 2017 के दौरान आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के संशोधन के समय, सरकार ने घटक को बंद करने का निर्णय लिया।"

35. लेखापरीक्षा की संवीक्षा टिप्पणियों में निम्नवत् बताया गया:-

"लेखापरीक्षा ने नोट किया है कि मौखिक साक्ष्य (पीएसी की 5वींरिपोर्ट के पैरा 5.10) के दौरान मंत्रालय ने समिति को सूचित किया था कि उसने शहरी विकास मंत्रालय की सहायता से शिशुगृह बनाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया था और वे इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ उठा रहे थे। चूंकि उपरोक्त उत्तर मंत्रालय के पहले के रुख के विपरीत है, मंत्रालय अपने उत्तर पर फिर से विचार कर सकता है और पीएसी को विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत कर सकता है।"

36. लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उपरोक्त बयान एक वास्तविक प्रयास के रूप में दिया था और प्रतिबद्धता के तहत शहरी विकास मंत्रालय/वित्त मंत्रालय की मदद से विचार प्रक्रिया और नीति पुनर्गठन के साथ संरेखण में उस विशेष समय में शिशुगृहों की सुविधाओं सहित आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए पहल/नवाचार कार्यक्रम तैयार किया था। आंगनवाड़ी सेवाओं को अगले स्तर तक बढ़ाने के लिए यह एक अकादमिक प्रयास था। इसके बाद, यह आकलन किया गया कि (1) शहरी क्षेत्रों में उचित आवास की कमी थी; (2) शहरी क्षेत्रों में

अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चलाए जाते हैं; (3) ऐसे उपक्रमों के लिए कोई भूमि आसानी से उपलब्ध नहीं होती; (4) भूमि की भारी कीमत एक बाधा है। इसलिए इस पहल को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। "

37. शहरी क्षेत्रों में 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में शिशुगृहों के निर्माण में प्रगति की कमी को देखते हुए, समिति को बताया गया था कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श से इन शिशुगृहों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया था और इसके लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क भी किया था। समिति मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि आंगनवाड़ी सेवाओं को अगले स्तर तक बढ़ाने के लिए अकादमिक प्रयास किया गया था। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में समुचित जगह की कमी; किराए के भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जाने; ऐसे केन्द्रों के लिए भूमि की अनुपलब्धता और भूमि की भारी लागत से इस पहल को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। मंत्रालय के किए गए प्रयासों को स्वीकार करते हुए, समिति महसूस करती है कि शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों में शिशुगृह मध्यम और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर हर दिन काम पर जाती हैं। <u>उनके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने और इन महिलाओं को बच्चों की सुरक्षा का भरोसा दिलाने की दृष्टि से, समिति चाहती है कि शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को शिशुगृह सुविधाएं प्रदान करने में मदद करने के निमित्त सीएसआर के तहत गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट संस्थाओं और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में नए सिरे से व निरंतर प्रयास किए जाएं।</u>

सिफ़ारिश पैरा सं 5.19

38. *समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय बच्चों के अनुकूल शौचालय और पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने का मामला राज्य सरकारों के साथ प्राथमिकता के आधार पर उठाए और आंगनवाड़ी केंद्रों में जहां शौचालय उपलब्ध नहीं थे, वहां मोबाइल शौचालय भी उपलब्ध कराए। समिति ने मंत्रालय के जवाब से नोट किया कि 13.63 लाख क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्रों में से 11,72,896 आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा है और 929339 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा है। यानी 86.1% आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा है और 68.18% आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, 69974 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों के निर्माण और 19993 आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को धनराशि जारी की गई थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 70000 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण एवं 20000 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने*

की स्वीकृति प्रदान की गई है।समिति चाहती है कि पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के निर्माण के लिए धन आवंटन में वृद्धि पर विचार किया जाए ताकि शेष आंगनवाड़ी केंद्रों में भी समयबद्ध तरीके से पेयजल और शौचालय की सुविधा स्थापित की जा सके। इसके अलावा, समिति यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पिछली सिफारिश को दोहराती है कि मोबाइल शौचालय प्रदान किए जाने चाहिए ताकि कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र सुविधा के बिना काम नहीं करे और बच्चे अपने जीवन की शुरुआत से ही स्वास्थ्यकर आदतें सीख सकें।

39. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर में निम्नवत बताया:-

"वर्तमान में देश भर में 13.81 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के पूर्ण संचालन के माध्यम से आंगनवाड़ी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन आंगनवाड़ी केंद्रों में से 9.72 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा है और 11.54 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने के पानी की सुविधा है।

वर्तमान आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के मानदंडों के अनुसार, सरकारी स्वामित्व वाले आंगनवाड़ी भवनों में 12,000/- रुपये प्रति आंगनवाड़ी के लागत मानदंडों के अनुसार शौचालयों के निर्माण और पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए 10,000/- रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र की अनुमति है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन घटकों के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत इकाइयों और जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पेयजल सुविधा का प्रावधान		शौचालय की सुविधा		कुल निर्मुक्ति
		अनुमोदित इकाई	भारत सरकार का हिस्सा	अनुमोदित इकाई	भारत सरकार का हिस्सा	
1	2017-18	19993	1323.72	69974	5411.91	6735.64
2	2018-19	20000	1343.75	70000	5922.79	7266.54
3	2019-20	20000	.1255.15	54880	4146.39	5401.54

इसके बाद, वर्ष 2020-21 के लिए भी, पहले से स्वीकृत 70,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा और शौचालय सुविधा की पहले से दी गई मंजूरी के अतिरिक्त 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को पेयजल सुविधा और शौचालय सुविधा के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय का निर्माण और पेयजलसुविधाओं का

प्रावधान 17.02.2016 को संयुक्त रूप से जारी मनरेगा अभिसरण दिशानिर्देशों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। मोबाइल शौचालय के संबंध में सुझाव नोट किया गया है।"

40. लेखापरीक्षा की संवीक्षा टिप्पणियां निम्नवत थीं:-

"पीएसी के निर्देशों के अनुसार, "नोट किए गए" या "अनुमोदित" जैसे उत्तर अस्पष्ट और अनिर्णायक हैं और इसलिए इससे बचा जाना चाहिए। पेयजलसुविधाओं एवं शौचालयों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटन में वृद्धि के संबंध में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है। मंत्रालय अपने अंतिम की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीएन) में मोबाइल शौचालयों के संबंध में एक विशिष्ट उत्तर शामिल कर सकता है।"

41. लेखापरीक्षा की संवीक्षा टिप्पणियों के संबंध में मंत्रालय ने की गई कार्रवाई के संबंध में निम्नवत बताया:-

वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए शौचालय एवं पेयजलसुविधाओं के निर्माण हेतु राशि जारी करने की सूचना उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी है। मंत्रालय को अभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करना है।

चूंकि आंगनवाड़ी केंद्र स्थायी संरचना हैं, इसलिए मोबाइल शौचालय की गुंजाइश पैदा नहीं होती और न ही इस संबंध में किसी राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव मिलने पर इसकी जांच की जा सकती है।"

42. समिति यह चाहती थी कि पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के निर्माण के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने पर विचार किया जाए ताकि शेष आंगनवाड़ी केन्द्रों को भी समयबद्ध तरीके से पेयजल और शौचालयों की सुविधा मिल सके। समिति ने पूर्व में की गई अपनी सिफारिश को पुनः दोहराया कि मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराए जाएं और यह सुनिश्चत किया जाए कि कोई भी आंगनवाडी केन्द्र इस सुविधा के बिना कार्य न करे। समिति निराशा के साथ यह नोट करती है कि मंत्रालय के प्रारंभिक उत्तर में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के निर्माण के लिए धन के आवंटन में वृद्धि के संबंध में कोई ब्यौरा नहीं था। समिति मंत्रालय के अंतिम उत्तर से नोट करती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पिछले वर्षों में जारी निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। समिति चाहती है कि मंत्रालय राज्यों से आग्रह करे कि वे लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं जिसके लिए उन्हें और कोई अनुदान नहीं दिया जाए। समिति मंत्रालय के इस उत्तर से असहमत है कि आंगनवाडी केन्द्र स्थायी संरचना होने के कारण वहाँ मोबाइल शौचालयों की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हो सकती है। आंगनवाडी केंद्र भी किराए/मेक शिफ्ट/सेमी पक्का परिसरों में चल रहे हैं जिनमें

शौचालय नहीं हो सकते हैं। इसलिए, समिति इस बात पर बल देती है कि मंत्रालय उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां आंगनवाडी केन्द्रों में शौचालय नहीं हैं, मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव लाए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस पर प्राप्त प्रतिक्रिया से समिति को अवगत कराएँ ।

****

नई दिल्ली;
3 अप्रैल, 2023
13 चैत्र, 1945 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति